स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 30.07.2011 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 80 वीं बैठक की कार्यसूची :

निम्न सदस्य उपस्थित थे :—

1.	प्रोफेसर ए०के० दाहमा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री संतोष कुमार सहारण, माननीय विधायक	
3.	श्री एस०एम० मीणा, आई०ए०एस०, संभागीय आयुक्त, बीकानेर ।	सदस्य
4.	डॉ. एम.एस. राठौड़	सदस्य
5.	प्रो. मनिन्द्रा कपूर	सदस्य
6.	डॉ. रामदेव	सदस्य
7.	श्री परता राम सियाग	सदस्य
8.	डॉ वी०के० पण्ड़ित, संयुक्त निदेशक, कृषि प्रसार एवं प्रतिनिधि आयुक्त कृषि	सदस्य
9.	डॉ. जी०डी० शर्मा, प्राचार्य डूंगर महाविद्यालय एवं प्रतिनिधि प्रमुखशासन सचिव उच्च शिक्षा	सदस्य
10.	डॉ. पी०एन० कल्ला	सदस्य
11.	डॉ. जी.एल. केशवा	सदस्य
12.	डॉ. जी०एन० माथुर	सदस्य
13.	डॉ. आर०के० वर्मा	सदस्य
14.	श्री जे०पी० स्वामी, वित्त नियंत्रक	आमंत्रित सदस्य
15.	श्री रामदेव गोयल, कुल सचिव	सदस्य सचिव

डॉ० एस०के० शर्मा, डॉ. आर०पी० जांगीड़, डॉ. आई.जे. गुलाटी, प्रमुख शासन सचिव, कृषि व शासन सचिव, पशु पालन प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नही ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों की तरफ से माननीय कुलपति प्रो० ए.के.दाहमा का स्वागत किया साथ ही नये मनोनीत सदस्य डॉ पी.एन.कल्ला, डॉ आर.पी.जॉगिड एवं डॉ आर.के.वर्मा का स्वागत किया व श्री सूरजमल मीणा, पूर्व कुलपति एवं संभागीय आयुक्त, डॉ एम.पी.साहू, डॉ जे.एन.परिहार व डॉ अजीत सिंह शेखावत के द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गई । कुलपति महोदय ने भी माननीय विधायक श्री संतोष कुमार सहारण एवं माननीय सदस्यों का स्वागत किया ।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1155	79 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.12.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् । यह पारित (**Resolved**) किया गया कि 79 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.12.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि /बोम–80/ 2011-1/1156	79 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.12.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । यह पारित (**Resolved**) किया गया कि 79 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.12.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही की निम्न के साथ पुष्टि की जाती हैं :- एसकेराकृवि/बोम-**78/2010-2/1139** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । यह पारित (**Resolved**) किया गया कि कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत 17 प्राध्यापको को सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक आचार्य (चयनित वेतनमान) में **Placement** करने की अनुमति प्रदान करने हेतु एक कमेटी बनाकर राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिए प्रयास किये जाएं। एसकेराकृवि/बोम-**78/2010-2/1143(2)** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (**Resolved**) किया गया कि महान विचारक तथा शिक्षाविद् स्वामी केशवानंद के नाम पर विशिष्ठ योग्यता प्राप्त कृषि स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति शुरू करने बाबत् वित्तीय मामलों से संबंधित प्रकरण पर ट्रस्ट से विचार विमर्श किया जाएं साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति शुरू करने बाबत् प्रयास किये जाएं । छात्रवृत्ति मेरीट-कम-मीन्स पर ही दी जाएं । एसकेराकृवि/बोम-**78/2010-2/1154(3)** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा फार्म की 28 हैक्टयेर जमीन राज्य सरकार द्वारा मैट्रो रेल परियोजना के लिए अवाप्त करने के आदेश दिये थे लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास कर 28 हैक्टयेर जमीन के बजाय 14 हैक्टेयर जमीन ही अवाप्त की गई साथ ही उसके बदले उतनी ही जमीन देने तथा भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि में से 30 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय को एकमुश्त देने के आदेश हुए । यह पारित (**Resolved**) किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अवाप्त भूमि के बदले में कृषि योग्य, भूमिगत जल वाली भूमि राज्यसरकार से प्राप्त करने के उच्च स्तर पर प्रयास किये जाएं ताकि उक्त भूमि अनुसंधान हेतु काम आ सके । 30 प्रतिशत राशि भी जल्द से जल्द प्राप्त की जाएं जिससे उक्त राशि विश्वविद्यालय के हित में उपयोग की जा सके । एसकेराकृवि/बोम-**78/2010-2/1154(6)** कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों जिन्होंने पूर्व में पेंशन विकल्प नहीं भरा था उन्हें एक अवसर दिये जाने बाबत् श्री सन्तोष कुमार सहारण, माननीय विधायक ने पुन: सदन से निवेदन किया। वित्त नियत्रंक ने सदन को अवगत कराया कि राज्यसरकार ने पुन:विकल्प लेने पर असहमति जताई हैं । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (**Resolved**) किया गया कि हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक प्रकरण पर निर्णय लिया हैं उसी अनुरूप इन प्रकरणों का भी परीक्षण किया जाएं ।

स्वाकेराकृवि /बोम–80/ 2011-1/1157	36 वीं शैक्षणिक पषिद् बैठक दिनांक 08.07.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत्। यह पारित (Resolved) किया गया कि 36वीं शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनॉक 08-07-2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि /बोम–80/ 2011-1/1158	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत् । 1. आदेश क्रमांक एफ (64-II)/पीएमआरएफ/ग्रुप-5/2011/ 469-72 दिनांक 10.01.2011 2. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/1913 दिनांक 04.04.2011 3. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/1918 दिनांक 04.04.2011 4. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/1927 दिनांक 08.04.2011 5. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/1936 दिनांक 13.04.2011 6. आदेश क्रमांक प. 330/स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-2/ 2011/4068 दिनांक 24.05.2011 7. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/3062 दिनांक 27.06.2011 8. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/3063 दिनांक 27.06.2011 9. आदेश क्रमांक प./स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-1/2011/3064 दिनांक 27.06.2011 10. आदेश क्रमांक प.8(38)/स्वाकेराकृवि/नियुक्ति/2011/ 1996 दिनांक 14.07.2011. 11. परिपत्र क्रमांक सीओई/स्वाकेराकृवि/यू.एम./2011/ 438-453 दिनांक 25.07.2011. यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी उक्त 11 आदेशों की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1159	वित्त समिति बैठक दिनांक 29.07.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनॉक 29-07-2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1160	विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2011-12 संशोधित अनुमान वर्ष 2010-11 एवं बेलेंस सीट वर्ष 2009-10. यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2011-12 संशोधित अनुमान वर्ष 2010-11 एवं बेलेंस सीट वर्ष 2009-10 की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1161	विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 अनुमोदन बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 का अनुमोदन किया जाता हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1162	निजी कृषि महाविद्यालयों को सम्बद्धता बाबत् । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि किसी भी कृषि महाविद्यालय को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाएं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1163	वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को प्राध्यापकों की भॉति संगोष्ठी, सेमिनार, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को प्राध्यापकों की भॉति संगोष्ठी, सेमिनार, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने की पुष्टि की जाती हैं ।

स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1164	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3(22) शिक्षा-4/2009 दिनांक 10.01.2011 द्वारा प्रेषित विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) 1974 में प्रख्यापित संशोधन अध्यादेश को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में अंगीकृत (Adopt) किये जाने बाबत् ।
	यह पारित (Resolved) किया गया कि विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3(22) शिक्षा-4/2009 दिनांक 10.01.2011 द्वारा प्रेषित विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) 1974 में प्रख्यापित संशोधन अध्यादेश को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में अंगीकृत (Adopt) किये जाने की पुष्टि की जाती हैं । साथ ही स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में छात्रों के प्रवेश में भी १ प्रतिशत विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण को अंगीकृत करने की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1165	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR), नई दिल्ली के मॉडल एक्ट के प्रावधानों के तहत् स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम एवं विधियों (Act & Statutes) के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने बाबत्। यह पारित (Resolved) किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR), नई दिल्ली के मॉडल एक्ट के प्रावधानों के तहत् स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम एवं विधियों (Act & Statutes) के प्रावधानों में शैक्षणिक परिषद्, अनुसंधान परिषद् व प्रसार परिषद् का गठन की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1166	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कार्यवाहक अधिष्ठाता / निदेशकों/क्षेत्रीय निदेशकों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों (राज्यसरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के अतिरिक्त) का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित करने बाबत् । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । माननीय सदस्यों की राय थी की कुलपति महोदय कार्यवाहक अधिष्ठाता/निदेशकों/क्षेत्रीय निदेशकों/अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकाल संबंध में निर्णय लेने में अधिनियम 1987 के तहत स्वयं सक्षम हैं । यह पारित (Resolved) किया गया कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कार्यवाहक अधिष्ठाता / निदेशकों/क्षेत्रीय निदेशकों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों (राज्यसरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के अतिरिक्त) का कार्यकाल तीन के स्थान पर पॉच साल निर्धारित करने अथवा कार्य के गुणावगुण आधार पर पॉच साल से पूर्व भी पद से हटाये जाने का निर्णय कुलपति महोदय द्वारा लिये जाने की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम–80/ 2011-1/1167	37 वीं विशेष शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 29.07.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि 37 वीं विशेष शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 29.07.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि /बोम–80/ 2011-1/1168	डॉ. ब्रिजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सह-आचार्य के संबंध में उप सचिव (एम), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर के पत्रांक मु.मं-उ.स.(एम)/प-2(कृषि)10/82704 दिनांक 27.07.2011 के बाबत्। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि डॉ ब्रिजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व-सहआचार्य के इस विश्वविद्यालय में कार्यकाल का मात्र प्रमाण पत्र देने की पुष्टि की जाती हैं ।

स्वाकेराकृवि /बोम–80/ 2011-1/1169	अन्य कोई भी प्रकरण हो तो माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार विमर्श करने बाबत् । 1. अनुसंधान परिषद् एवं प्रसार परिषद् के कार्यवाही विवरण को शैक्षणिक परिषद् एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचार विमर्श हेतु रखा जाएं 2. शैक्षणिक परिषद् की बैठक में विश्वविद्यालय की भविष्य की कार्ययोजना, विकास एवं देश व राज्य के लिये कैसे हितकर हो सकता हैं इस बाबत् विचार विमर्श कर प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाएं । राज्यसरकार से भी निवेदन किया जाएं कि पॉलिस बनाने एवं कियान्वति में विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जाएं। 3. विश्वविद्यालय में कार्यरत्त कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्राध्यापकों को प्रति विद्यार्थी क्या लागत आ रही हैं उसका व अन्य सभी आय व्यय का आंकलन किया जाएं । 4. वरिष्ठ तकनीकी सहायकों जो नेट उत्तीर्ण नहीं हैं उनको छूट देने बाबत् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से निवेदन किया जाएं । 5. तदर्थ कर्मचारियों के प्रकरण प्री लिटीगेशन समिति के समक्ष रखकर निस्तारित करवावें । 6. सीधी भर्ती से चयनित सह आचार्य को आचार्य पद पर कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदौन्नति की प्रकिया प्रारम्भ की जावें ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की धोषणा की गई ।

01/08/11

(रामदेव गोयल)
कुल सचिव
एवं
सदस्य सचिव

1/8/11

(प्रो० ए०के० दाहमा)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल